न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2 / 2025 / 225 आर.टी.एक्ट (2025 / 2)

1. श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री ऊंकार सिंह
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह
3. अनिता कंवर पुत्री श्री ओंकार सिंह
   समस्त जाति—राजपूत, निवासीगण—ग्राम बूबानिया, तहसील—नसीराबाद, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. महावीर सिंह पुत्र श्री छोटूसिंह
2. नरपत सिंह पुत्र श्री रामसिंह
   दोनों जाति राजपूत, निवासीगण—ग्राम बूबानिया, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।
3. मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा—भवानीखेडा, जिला अजमेर।
4. मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा—भवानीखेडा, जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2024 राजस्व वाद संख्या 21 / 2023

उपस्थितः—

1. श्री ईश्वरसिंह अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सीताराम रावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
3. श्री संदीप स्वामी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4
4. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5
5. रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 16.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 21 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 25.10.2024 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 21/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण जो कि ग्रामीण परिवेश के हैं तथा कानून के जानकार नहीं है इस कारण आदेश दिनांक 25. 10.2024 की जानकारी से नियत समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके पीछे अपीलार्थीगण की कोई दुर्भावना निहित नहीं करती है। अपील प्रस्तुती में हुई देरी एक सदभाविक देरी है जिसके पीछे अपीलार्थीगण की कोई दुर्भावना निहित नहीं करती है। यदि अपील को रिकार्ड पर नहीं लिया जाता है तो अपीलार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका कि मूल्यांकन मुद्रा में नहीं आंका जा सकेगा। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

RBJ(13)2006

INDIAN LIMITATION ACT,1963-SECTION 5 –

CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश दिनांक 25.10.2024 का पारित किया है वह एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुने, बिन समक्षे ही पारित किया गया आदेश है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने जिस आराजी में से रास्ता मांगा है, उस आराजी में कभी भी कोई सरकार रास्ता दर्ज नहीं रहा ना ही प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 उक्त आराजी में से कभी आते–जाते ना ही किसी प्रकार से ट्रेक्टर इत्यादि लेकर गुजरे। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने केवल मात्र अपीलार्थीगण के संयुक्त मालिकाना हक की आराजी में से जबरन रास्ता निकालने के लिए झूठे तथ्य अंकित किये है। अगर इस खसरे में से कभी भी कोई रास्ता रहा होता तो इस बाबत प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 इस बाबत अवश्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं रिकार्ड प्रस्तुत करते। अधीनस्य न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं फरमाया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 तहसीलदार नसीराबाद ने जो मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है, उस मौका रिपोर्ट पर भी अपीलार्थीगण की ना तो कोई सहमति है ना ही उक्त मौका रिपोर्ट पर उनके कोई हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार नसीराबाद ने जो मौका रिपोर्ट बनायी है वह अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में, बिना उनकी सहमति के एवं बिना उनके हस्ताक्षर के बनायी है जो कि केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को अविधिक लाभ पहुंचाये जाने की नियत से पेश की गयी है, जो कि विधिविरुद्ध आधारों पर प्रस्तुत होने से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने योग्य है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश/निर्णय पारित करने से पूर्व दोनों पक्षकारों को सुना जाना अत्यन्त आवश्यक है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुने बिना ही उक्त आदेश अति उतावलेपन के साथ पारित किया है जो कि विधिविरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। यदि अपीलार्थीगण को सुना जाता तो अपीलार्थीगण अवश्य अपने बचाव में उचित पक्ष रखते ताकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण के निस्तारण में सुलभता मिलती परन्तु अधीनस्थ

न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना सुने अपना मनमाना आदेश पारित किया है जो कि निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पास अपनी खातेदारी में आने–जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ते भी उपलब्ध है, इस तथ्य की भी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं करवायी और केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को लाभ पहुंचाये जाने की बदनियती से बिना दस्तावेजों एवं रिकार्ड का अवलोकन किये ही आदेश पारित किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के न्यायिक हितों की अनदेखी कर उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 अपीलार्थीगण के खसरा नम्बर 2367 में से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता निकालने के अधिकारी नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 21/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि ग्राम बूबानिया के आराजी खसरा नम्बर 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413 व गै0 मु0 चाह खसरा नम्बर 2449/3216 आवेदनकर्ता की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 2367 रकबा 0.45 का उपयोग करते है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त आवेदनकर्ता के पास अन्य कोई मार्ग राजस्व मानचित्र में नहीं है। अतः प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 2367 में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जानना न्यायोचित व आवश्यक है तथा वर्तमान जामाबंदी में भी उक्त रास्ते का इन्द्राज करवाने के आदेश पारित किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 25.10.2024 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं की आराजीयात ग्राम बूबानिया में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413 व गै0मु0 चाह खसरा नम्बर 2449/3216 की आराजी में आवागमन हेतु अप्रार्थी/अपीलांट के खातेदारी आराजीयात खसरा नम्बर 2367 में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाए जाने हेतु अनुतोष चाहा गया।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2013 को दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 06.09.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 17.10.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 स्वयं व उनके अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधिसम्मत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

कार्यालय पटवार हल्का बुबानिया तहसील नसीराबाद, अजमेर द्वारा उभयपक्षों को मौका रिपोर्ट बाबत दिनांक 14.05.2024 को उपस्थिति बाबत नोटिस जारी किए गए। परंतु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.05.2024 को विधि सम्मत रूप से मौके रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजीयात में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2367 रकबा 0.45 के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता ही लघुत्तम मार्ग है व प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होना बताया गया है, जो कि सलंग्न राजस्व मानचित्र से भी स्पष्ट है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत रूप से रास्ता कायामी हेतु आदेश पारित किए गए हैं, चूंकि एक काश्तकार को अपनी आराजीयात में आवागमन व कृषि यंत्रों को ले जाने हेतु रास्ता होना आवश्यक है, क्यों कि रास्ता एक सुखाधिकार के तहत प्रयोग में लिया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की मंशा भी यही है।

जबकि अपीलांट द्वारा अपनी अपील में मुख्य उज्र यह उठाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिए व मौका रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की जाकर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी द्वारा बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने व मौका रिपोर्ट में सूचना प्रेषित किए जाने के पश्चात भी जब अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे, तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में न्यायसंगत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया गया।

प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 30 फीट चौडे रास्ते की मांग की गई थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की विधिवत रूप से आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए 15 फीट चौडा रास्ता ही प्रदान किया गया है, जिससे अपीलांट की कृषि आराजीयात पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पडता है।

अपीलांट अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित नहीं कर पाए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि हाजा न्यायालय द्वारा करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 21/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर